रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2016/चैत्र 16, 1938
No. 248] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2016/CHAITRA 16, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2016

सा.का.नि. 399(अ).—चूंकि वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का XXII) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 05 फ़रवरी, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 157(अ) के द्वारा प्रकाशित किए गए, जिसे ऐसे व्यक्तियों जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई;

और चूंकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 10 फ़रवरी, 2016 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थीं;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 है।

(ख) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

1. वायुयान नियम, 1937 में (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है),
अनुसूची II में,———

(क) अनुभाग ञ में, ———

(i) पैरा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा को अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"5क. प्रवीणता जांच———

(क) परिवहन विमान जिसका संपूर्ण सर्वाधिक भार पांच हजार सात सौ किलोग्राम से अधिक है, के सह-विमान चालक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति धारक से अपेक्षा की जाती है कि वह उड़ान किए जाने वाले टाइप विमान के बाबत समुचित प्रवीणता जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, की जांच कराए।

(ख) पैरा (क) के अनुसार की गई प्रवीणता जांच उस जांच की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और इसका नवीकरण छह मास की और अवधि के लिए किया जा सकेगा।

(ग) नवीकरण की दशा में, विधिमान्यता की अवधि पूर्ववर्ती विधिमान्यता की समाप्ति की तारीख से आरंभ होगी परंतु यह तब जब कि यह जांच उसकी समाप्ति की तारीख से पूर्ववर्ती दो मास के भीतर की गई हो।"

(ii) पैरा 6 के दूसरे परंतुक का लोप किया जाए।

(ख) अनुभाग ट में,———

(i) पैरा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा को अंतः स्थापित किया जाए, अर्थातः-

"5क. प्रवीणता जांच———

(क) परिवहन हेलीकॉप्टर पर समादेशक विमान चालक या सह विमान चालक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति धारक से अपेक्षा की गई है कि वह उड़ान किए जाने वाले टाइप हेलीकॉप्टर के बाबत समुचित प्रवीणता जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, की जांच कराए।

(ख) पैरा (क) के अनुसार की गई प्रवीणता जांच उस जांच की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और इसका नवीकरण छह मास की और अवधि के लिए किया जा सकेगा।

(ग) नवीकरण की दशा में, विधिमान्यता की अवधि पूर्ववर्ती विधिमान्यता की समाप्ति की तारीख से आरंभ होगी परंतु यह तब जबकि यह जांच उसकी समाप्ति की तारीख से पूर्ववर्ती दो मास के भीतर की गई हो।"

(ii) पैरा 6 के तीसरे परंतुक का लोप किया जाए।

(ग) अनुभाग ठ में,———

(i) पैरा 4 के उप-पैरा (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(घ) उपकरण रेटिंग———

अनुज्ञप्ति में कोई पृथक उपकरण रेटिंग उपबंधित नहीं है। उपकरण रेटिंग के विशेषाधिकार इस अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकार में सम्मिलित हैं परंतु यह तब जब कि उपकरण रेटिंग उड़ान परीक्षण महानिदेशक के समाधान प्रद रूप में किए गए हों। उपकरण रेटिंग की विधिमान्यता और नवीकरण की शर्तें इस अनुसूची के अनुभाग ण में विहित की जाएं।"

(ii) पैरा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा को अंतः स्थापित किया जाए,

अर्थात् :-

"5क. प्रवीणता जांच———

(क) परिवहन विमान जिसका संपूर्ण सर्वाधिक भार पांच हजार सात सौ किलोग्राम से अधिक है, के सह-विमान चालक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति धारक से अपेक्षा की जाती है कि वह उड़ान किए जाने वाले टाइप विमान के बाबत समुचित प्रवीणता जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, की जांच कराए।

(ख) पैरा (क) के अनुसार की गई प्रवीणता जांच उस जांच की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और इसका नवीकरण छह मास की और अवधि के लिए किया जा सकेगा।

(ग) नवीकरण की दशा में, विधिमान्यता की अवधि पूर्ववर्ती विधिमान्यता की समाप्ति की तारीख से आरंभ होगी परंतु यह तब जब कि यह जांच उसकी समाप्ति की तारीख से पूर्ववर्ती दो मास के भीतर की गई हो।"

(iii) पैरा 6 (ग) के दूसरे परंतुक का लोप किया जाए।

(घ) अनुभाग ड में—

(i) पैरा 4 के उप-पैरा(ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ग) उपकरण रेटिंग———

अनुज्ञप्ति में कोई पृथक उपकरण रेटिंग उपबंधित नहीं है। उपकरण रेटिंग के विशेषाधिकार इस अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकार में सम्मिलित हैं परंतु यह तब जब कि उपकरण रेटिंग उड़ान परीक्षण महानिदेशक के समाधान प्रद रूप में किए गए हों। उपकरण रेटिंग की विधिमान्यता और नवीकरण की शर्तें इस अनुसूची के अनुभाग ण में विहित की जाएं।"

(ii) पैरा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा को अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"5क. प्रवीणता जांच———

(क) परिवहन विमान जिसका संपूर्ण सर्वाधिक भार पांच हजार सात सौ किलोग्राम से अधिक है, के समादेशक विमान चालक या सह-विमान चालक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति धारक से अपेक्षा की जाती है कि वह उड़ान किए जाने वाले टाइप विमान के बाबत समुचित प्रवीणता जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, की जांच कराए।

(ख) पैरा (क) के अनुसार की गई प्रवीणता जांच उस जांच की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और इसका नवीकरण छह मास की और अवधि के लिए किया जा सकेगा।

(ग) नवीकरण की दशा में, विधिमान्यता की अवधि पूर्ववर्ती विधिमान्यता की समाप्ति की तारीख से आरंभ होगी परंतु यह तब जबकि यह जांच उसकी समाप्ति की तारीख से पूर्ववर्ती दो मास के भीतर की गई हो।"

(iii) पैरा 6 के दूसरे परंतुक का लोप किया जाए।

(ड.) अनुभाग ढ में———

(i) पैरा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा को अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"5क. प्रवीणता जांच,———

(क) परिवहन हेलीकॉप्टर पर समादेशक विमान चालक या सह विमान चालक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति धारक से अपेक्षा की जाती है कि वह उड़ान किए जाने वाले टाइप हेलीकॉप्टर के बाबत समुचित प्रवीणता जो महानिदेशक द्वारा विहित की जाए, की जांच कराए।

(ख) पैरा (क) के अनुसार की गई प्रवीणता जांच उस जांच की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और इसका नवीकरण छह मास की और अवधि के लिए किया जा सकेगा।

(ग) नवीकरण की दशा में, विधिमान्यता की अवधि जांच पूर्ववर्ती विधिमान्यता की समाप्ति की तारीख से आरंभ होगी परंतु यह तब जबकि यह जांच उसकी समाप्ति की तारीख से पूर्ववर्ती दो मास के भीतर कीगई हो।"

(ii) पैरा 6 के दूसरे परंतुक का लोप किया जाए।

(च) अनुभागण में, पैरा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"2. विधिमान्यता———(क) यह रेटिंग उपकरण रेटिंग उड़ान परीक्षण की तारीख से बारह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ख) इसका नवीकरण समाप्ति की तारीख से बारह मास की और अवधि के लिए किया जा सकेगा परंतु यह तब जब कि उपकरण रेटिंग के परीक्षण समाप्ति की तारीख से पूर्ववर्ती दो मास के भीतर किया गया हो और नवीकरण के लिए अन्य अपेक्षाएं पूरी की गई हों।

(ग) अन्य दशाओं में, रेटिंग के नवीकरण की विधिमान्यता उसके परीक्षण की तारीख से आरंभ होगी।"

(छ) अनुभाग त में, पैरा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"2. विधिमान्यता———(क) यह रेटिंग उपकरण रेटिंग उड़ान परीक्षण की तारीख से बारह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ख) इसका नवीकरण समाप्ति की तारीख से बारह मास की और अवधि के लिए किया जा सकेगा परंतु यह तब जबकि उपकरण रेटिंग के परीक्षण समाप्ति की तारीख से पूर्ववर्ती दो मास के भीतर किया गया हो और नवीकरण के लिए अन्य अपेक्षाएं पूरी की गई हों।

(ग) अन्य दशाओं में, रेटिंग के नवीकरण की विधिमान्यता उसके परीक्षण कीतारीख से आरंभ होगी।"

[फा.सं ए.वी.11012/145/2015-ए]

अरूण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना संख्या वी-26 द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 27 नवबंर, 2015 की अधिसूचना संख्या.सा.का.नि 909 (अ), द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2016

G.S.R. 399(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), vide notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 157(E), dated 5th February, 2016, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 10th February, 2016;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public in respect of the draft rules within the period specified in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: —

1. (1) These rules may be called the Aircraft (First Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), in Schedule II,—

(A) in Section J,—

(i) after para 5, the following para shall be inserted, namely:-

"5A.Proficiency Check—

(a) In order to act as a co-pilot of transport aeroplanes having an all-up weight exceeding five thousand seven hundred kilograms, the licenceholder shall be required to undergo an appropriate proficiency check as specified by the Director-General, in respect of the type of aircraft to be flown.

(b) The proficiency check carried out as per para (a) shall be valid for a period of six months from the date of the check and shall be renewed for a further period of six months at a time.

(c) In the case of renewal, the period of validity shall commence from the date of expiry of the previous validity provided that the check has been carried out within two months preceding the date of expiry."

(ii) the second proviso to para 6 shall be omitted.

(B) In Section K,—

(i) after para 5, the following para shall be inserted, namely:-

"5A.Proficiency Check—

(a) In order to act as a pilot-in-command or co-pilot on transport helicopters, the licence holder shall be required to undergo an appropriate proficiency check as specified by the Director-General, in respect of the type of helicopter to be flown.

(b) The proficiency check carried out as per para (a) shall be valid for a period of six months from the date of the check and shall be renewed for a further period of six months at a time.

(c) In the case of renewal, the period of validity shall commence from the date of expiry of the previous validity provided that the check has been carried out within two months preceding the date of expiry."

(ii) the third proviso to para 6 shall be omitted.

(C) in Section L, —

(i) forsub-para (d) of para 4, the following sub-para shall be substituted, namely:-

" (d) Instrument Rating—

No separate Instrument Rating is provided in the licence. The privileges of instrument rating are included in the privileges of this licence provided that the instrument rating flying tests have been carried out as per the conditions laid down by the Director-General. Conditions for validity and renewal of instrument rating shall be as are laid down in Section O of this Schedule."

(ii) After para 5, the following para shall be inserted, namely:-

"5A.Proficiency Check—

(a) In order to act as a co-pilot of transport aeroplanes having an all-up weight exceeding five thousand seven hundred kilograms, the licenceholder shall be required to undergo an appropriate proficiency check as specified by the Director-General, in respect of the type of aircraft to be flown.

(b) The proficiency check carried out as per para (a) shall be valid for a period of six months from the date of the check and shall be renewed for a further period of six months at a time.

(c) In the case of renewal, the period of validity shall commence from the date of expiry of the previous validity provided that the check has been carried out within two months preceding the date of expiry."

(iii) the second proviso to para 6 shall be omitted.

(D) in Section M,—

(i) for sub-para (c) of para 4, the following sub-para shall be substituted, namely:-

"(c) Instrument Rating—No separate Instrument Rating is provided in the licence. The privileges of instrument rating are included in the privileges of the licence providedthat the instrument rating flying tests have been carried out as per the conditions laid down by the Director-General.Conditions for validity and renewal of instrument rating shall be as are laid down in Section O of this Schedule."

(ii) after para 5, the following para shall be inserted, namely:-

"5A.Proficiency Check—

(a) In order to act as a pilot-in-command or co-pilot of transport aeroplanes having an all-up weight exceeding five thousand seven hundred kilograms, the licence holder shall be required to undergo an appropriate proficiency check as specified by the Director-General, in respect of the type of aircraft to be flown.

(b) The proficiency check carried out as per para (a) shall be valid for a period of six months from the date of the check and shall be renewed for a further period of six months at a time.

(c) In the case of renewal, the period of validity shall commence from the date of expiry of the previous validity provided that the check has been carried out within two months preceding the date of expiry."

(iii) the second proviso to para 6 shall be omitted.

(E) In Section N, —

(i) after para 5, the following para shall be inserted, namely:-

"5A.Proficiency Check—

(a) In order to act as a pilot-in-command or co-pilot on transport helicopters, the licence holder shall be required to undergo an appropriate proficiency check as specified by the Director-General, in respect of the type of helicopter to be flown.

(b) The proficiency check carried out as per para (a) shall be valid for a period of six months from the date of the check and shall be renewed for a further period of six months at a time.

(c) In the case of renewal, the period of validity shall commence from the date of expiry of the previous validity provided that the check has been carried out within two months preceding the date of expiry."

(ii) the second proviso to para 6 shall be omitted.

(F) in Section O, for para 2, the following shall be substituted, namely: —

"2.Validity—(a) The rating shall be valid for a period of twelve months from the date of the instrument rating flying test.

(b) It shall be renewed for a further period of twelve months at a time from the date of expiry provided that the instrument rating flying test has been carried out within two months preceding the date of expiry and all other requirements for renewal are met.

(c) In other cases, the validity of renewal of the rating shall commence from the date of the test."

(G) in Section P, for para 2 the following shall be substituted, namely:-

"2.Validity—(a) The instrument rating shall be valid for a period of twelve months from the date of the instrument rating flying test.

(b) It shall be renewed for a further period of twelve months at a time from the date of expiry provided that the instrument rating flying test has been carried out within two months preceding the date of expiry and all other requirements for renewal are met.

(c) In other cases, the validity of renewal of the rating shall commence from the date of the test."

[F. No. AV11012/145/2015-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended vide notification number G.S.R.909 (E), dated the 27th November, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.